।। कार्यालय, निदेशक, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राजस्थान, जयपुर।।

(नेहरू नगर, आर0पी0ए0 रोड, जयपुर फोन 0141–2301584, फैक्स 0141–2301859)
ई–मेलः director.fsl@rajasthan.gov.in

क्रमांकः–न.05(9)लेबो–संस्था/पार्ट/19/ 8371-83 दिनांकः– 01 8-23

::आदेश::

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा प्रयोगशाला सहायक की सीधी भर्ती परीक्षा 2022 आयोजित कर पत्रांक प.14(102)(1)/RSSB/अर्थना/प्रयो.सहा./संयुक्त भर्ती/पात्रता जांच/2022/2119 दिनांक 31.05.2023 द्वारा प्रयोगशाला सहायक के अभ्यार्थियों की चयन सूची मय आवेदन पत्र नियुक्ति दिये जाने हेतु प्राप्त हुए है। राजस्थान फोरेन्सिक साईन्स सबोर्डिनेट सर्विस रूल्स 1980 के अनुसरण में चयन सूची में अंकित निम्न अभ्यार्थी की स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट, शैक्षणिक दस्तावेजो, जन्म तिथि, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र का सत्यापन एवं चरित्र सत्यापन इत्यादि सही पाये जाने पर कार्मिक विभाग (क–2) की अधिसूचना संख्या स.7(2) डी.ओ.पी./ ए–11/2005 दिनांक 20.01.2006 व राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 की अधिसुचना एफ.15(1) एफ.डी.(रूल्स)/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 की पालना में पै मैट्रिक्स लेवल–8 में नियत मासिक पारिश्रमिक रूपये 18,500/– (अठारह हजार पांच सौ मात्र) 2 वर्ष की परिविक्षा प्रशिक्षणार्थियों के रूप में देय होगा। निम्नलिखित चयनित अभ्यार्थी को प्रयोगशाला सहायक के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्ति प्रदान की जाकर उनके नाम के आगे अंकितानुसार खण्ड आंवटन कर पदस्थापन किया जाता हैः–

क्र स.	नाम अभ्यार्थी मय पिता का नाम	स्थाई निवास का पता	जाति वर्ग	चयन वर्ग	जन्म तिथि	रोल न.	रैंक क्रमांक	खण्ड का नाम	नवनियुक्ति पद पर कार्य ग्रहण करने का स्थान/पदस्थापन
1.	श्री पवन कुमार महावर पुत्र श्री बाबूलाल महावर	जाट की सराय, हिण्डौन सिटी थाना हिण्डौन सिटी, जिला करौली–322230 मो.नं. 9413146234	एससी	एससी	01.02.1984	436501	949	विष खण्ड	राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर

प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति निम्न शर्तो के अध्याधीन होंगीः–

1. परिवीक्षाकाल के दौरान स्थिर पारिश्रमिक के अलावा अन्य भत्ते (मकान किराया, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता एवं विशेष वेतन) आदि देय नही होंगे। इस अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नही माना जावेगा।
2. परिवीक्षाधीन अवधि के दौरान प्रत्येक कलैण्डर वर्ष में नियमानुसार अवकाश देय होगा।
3. सेवा में नियुक्त किये गये अभ्यार्थियों में से कोई भी अभ्यार्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षो के भीतर त्याग पत्र देता है या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि को सरकार का प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जावेगी, तदापि यात्रा और दैनिक भत्तो के रूप संदत्त रकम वसूली योग्य नही होगी। अभ्यार्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्ध पत्र निष्पादित करेंगे।
4. नियुक्त अभ्यार्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र व 02 संतान होने के संबंध में प्रमाण पत्र ड्यूटी ज्वाईन करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नही की जावेगी। राज्य सरकार के परिपत्र संख्या एफ–13 (3) एफडी/रूल्स/2001 दिनांक 04.10.2001 एवं संख्या प–7(1) कार्मिक/क–2/97 पार्ट जयपुर दिनांक 13.08. 2004 के अन्तर्गत नियुक्ति के उपरान्त यदि 02 से अधिक संतान होने के तथ्य सामने आते है तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जाकर सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
5. अभ्यार्थी द्वारा विवाह में दहेज नही लेने/देने का शपथ पत्र ड्यूटी ज्वाईन करने से पूर्व प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। विवाह मे दहेज प्राप्त नही करने, एक से अधिक पति/पत्नि नही रखने, दस्तावेज सत्यापन के बाद फर्जी/परिवर्तित/कूटरचित दस्तावेज पाया जाता है या अन्य कोई आपराधिक या अवांछनीय गतिविधियों में सम्मिलित होने संबंधी तथ्य प्रकाश में आने पर बिना नोटिस तत्काल नियुक्ति आदेश निरस्त कर सेवा से पृथक किया जावेगा।
6. अभ्यार्थी से धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नही करने के संबंध में ड्यूटी ज्वाईन करने से पूर्व शपथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
7. परिवीक्षावधि के दौरान इनका कार्य या आचरण संतोपजनक नही पाया जावें अथवा, यह प्रतीत हो की इनमें प्रयोगशाला सहायक के पद की दक्षता नही है, तो नियमानुसार इनकी सेवाएं तुरन्त प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
8. यह नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो/परिपत्रों के अधीन शासित होगी।
9. परिवीक्षावधि के दौरान नियुक्त अभ्यार्थियों को राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
10. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में प्रार्थी को (Self declaration) अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यार्थी के विरूद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पायी जाती है, तो ऐसे अभ्यार्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी। साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यार्थी के विरूद्ध अमल में लाई जावेगी। जिन अभ्यार्थियो का पुलिस सत्यापन अटैस्टेशन फार्म में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नही हुआ है, उनकी नियुक्तियां सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।

उक्त नवनियुक्ति प्रयोगशाला सहायक अपने नाम के सम्मुख अंकित पदस्थापन स्थान के खण्ड में आदेश जारी होने के 10 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से ड्यूटी पर उपस्थिति देंगे। निर्धारित समयावधि में ड्यूटी ज्वाईन नही किये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा।

ई.ओ.बी.– 281
दिनांक– 01/8/2023

(डॉ. अजय शर्मा)
निदेशक
राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला,
राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, गृह (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को उनके पत्रांक प.14(102)(1)/RSSB/अर्थना/प्रयो.सहा./संयुक्त भर्ती/पात्रता जांच/2022/2119 दिनांक 31.05.2023 के कम में।
3. अतिरिक्त निदेशक, मुख्य प्रयोगशाला, जयपुर।
4. संबंधित खण्डाधिकारी राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त अभ्यार्थी से ड्यूटी ज्वाईनिंग से पूर्व उपरोक्तानुसार शपथ/बंधक पत्र प्राप्त कर शपथ पत्र व ड्यूटी ज्योईनिंग रिपोर्ट तत्काल इस कार्यालय में प्रेषित करें।
5. लेखाधिकारी, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।
7. ई.ओ.वी./पी.एफ.।
8. श्री पवन कुमार महावर पुत्र श्री बाबूलाल महावर निवासी जाट की सराय, हिण्डौन सिटी, थाना हिण्डौन सिटी, जिला करौली–322230 मो.नं. 9413146234

निदेशक